कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर–273012

Office of the General Manager(P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

कमांक सं.–68
आर.बी.ई.सं.–निल
File No: NER-HQ0PERS(POLI)/88/2021-O/o SPO/HQ/HQ/NER (**Computer No:** 58377) दिनांक 27.08.2021

सचिव / महाप्रबन्धक
सचिव / अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना

विषय :– प्रशिक्षण के उपरान्त वरिष्ठता निर्धारण में अनियमितता के कारण पदोन्नति से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में ।

संन्दर्भ :– महाप्रबन्धक / सतर्कता, गोरखपुर का पत्र सं. जेड / 13 / एसएस / सीवीओ– ।। 2018 / 21 / कम्प. दिनांक 23.01.2020

....

विषयगत मामलें में महाप्रबन्धक / सतर्कता / पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के संन्दर्भित पत्र दिनांक 23.01.2020 की प्रतिलिपि जो प्रशिक्षण के उपरान्त वरिष्ठता निर्धारण में अनियमितता के कारण पदोन्नति से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में है, सूचना एवं मार्ग दर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक / यथोपरि

30/8/2021

(अजित कुमार श्रीवास्तव)
सकाधि / एमपीपी
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

प्रतिलिपि :– उपमुसताधि / लेखा का पत्र सं' जेड / 13 / एसएस / सीवीओ– ।।2018 / 21 / कम्प. दि. 23.01.2020 एवं 20.07.2021 के सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अजित कुमार श्रीवास्तव)
सकाधि / एमपीपी
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

पूर्वोत्तर रेलवे

ISO 9001:2000 Registered

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
गोरखपुर – 273012
(ISO 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)
Office of the General Manager (Vig)
Gorakhpur - 273012
(ISO 9001: 2000 certified Organisation)

सं. Z/13/SS/CVO-112018/21/Comp. दिनाँक 23.01..2020

प्रमुकाधि, गोरखपुर, मुकाप्र / यां.कार. / गोरखपुर,
मंडल रेल प्रवंधक, पूर्वोत्तर रेलवे,
वाराणसी, लखनऊ, इज्जतनगर ।

विषय :– प्रशिक्षण के उपरान्त वरिष्ठता निर्धारण में अनियमितता के कारण पदोन्नति से वंचित किये जाने के संबंध में ।

एक सतर्कता जॉच में यह संज्ञान में आया है कि यांत्रिक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण हेतु कार्मिक विभाग द्वारा प्रधानाचार्य प्रशिक्षण केन्द्र को भेजा गया था। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात प्रधानाचार्य द्वारा अलग–अलग तिथियों में मौखिक परीक्षा लेने के उपरान्त परिणाम अलग–अलग तिथियों में घोषित किया गया, जिस कारण उसी कम में कार्मिक विभाग द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी गयी, जो कि त्रुटिपूर्ण था, एवं नामिका मेरिट कम में नही था। जिन वरिष्ठ प्रशिक्षुयों का परिणाम बाद में धोषित किया गया है, एवं उनके द्वारा प्रशिक्षण में अधिक प्राप्तांक होने के बावजूद परिणाम बाद में घोषित होने के कारण उनकी वरियता प्रभावित हुआ, तथा कनिष्ठ एवं कम प्राप्तांक वाले प्रशिक्षुओ की पदोन्नति पहले ही दे दी गई है।

कार्मिक विभाग द्वारा भी प्रशिक्षण पर भेजने के उपरान्त परिणाम के संम्बन्ध में मानिटिरिंग सही ढंग से नही की गई है, कि भेजे गये प्रशिक्षुओ में से किन प्रशिक्षुओ का परिणाम प्राप्त हुआ है, और किन प्रशिक्षुओ का परिणाम प्राप्त नही हुआ है, तथा उनका वरियता कम क्या है।

अतः उक्त के संबंध में सभी संबंधित को निर्देशित करे कि जब किसी प्रशिक्षु बैच को प्रशिक्षण पर भेजा जाय तो, सभी प्रशिक्षुओ का परीक्षा परिणाम प्रधानाचार्य द्वारा अलग–अलग तिथियों में प्रकाशित न करके, एक साथ प्रकाशित किया जाय, तथा कार्मिक विभाग द्वारा वरिष्ठता एवं प्राप्तांक के आधार पर सही वरियता निर्धारण किया जाय, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके।

23.01.20

(डा0 आर.के.भारती)
उप मुसताधि / लेखा